JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नेतृत्व और विकास की अवधारणा एवं मध्यप्रदेश में जनजातीय नेतृत्व और विकास की स्थिति का मुल्यांकन

शोधार्थी –
सुनील कुमार
हमीदिया कला एवं वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय, भोपाल, म0प्र0

मध्यप्रदेश का निर्माण 1 नवम्बर 1956 को हुआ। मध्यप्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी गोंड, भील, बैगाा तथा परधान है। मध्यप्रदेश के निर्माण के पश्चात इनके विकास की स्थिति का मूल्याकन आज का एक मुख्य प्रश्न है ? मध्य प्रदेश में जनजातियों को नृेतत्व मिला है, लेकिन इस नेतृत्व से उनका कितना विकास हुआ है ? जनजातीय क्षेत्र सदैव उपेक्षित रहे हैं, वनों में स्थित होने के कारण आवागमन के साधनों का अभाव था। जनजातियों के विकास हेतु आवागमन के साधनों का विकास किया गया क्या इससे उनका विकास हो पाया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ? स्वतंत्रता के बाद से उन्हें नेतृत्व तो मिला लेकिन उपयोग विकसित जातियों के लोगों के हाथ मे रहा। जिन्होनें उनके विकास के नाम पर अपना विकास किया। जनजातियों के प्रति हमारे समाज में तिरस्कार की भावना प्रबल है, वास्तव में जनजातियों के विकास में हमारे समाज ने क्या उत्तरदायित्व निभाया, समाज के द्वारा तिरस्कार की भावना उनके विकास को अवरूद्व करती है। आज हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं लेकिन समाज का एक महत्वपूर्ण अंग अविकसित है उनके विकास के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं हैं।

इसीलिये आवश्यक होगा कि जनजातीय नेतृत्व को विकसित किया जाये जो कि अपने समाज को नेतृत्व करके उनको अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आभास दिला सके। जिससे लोगों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिशा प्रदान किया जा सके।

जनजातीय नेतृत्व और विकास की अवधारणा

नेतृत्व और विकास परस्पर अन्तसम्बंधित है। नेतृत्व विकास का मार्ग्र प्रशस्त करता है। नेतृत्व के बिना विकास की कल्पना व्यर्थ है अतएव विकास के लिये आवश्यक है नेतृत्व उच्च कोटि का हो। जो समाज को दिशा प्रदान कर सके। जिससे समाज के उददेश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके। मध्यप्रदेश में

जनजातीय नेतृत्व और विकास की स्थिति का मूल्याकन करने के लिए पहले हम उक्त अवधारणा के बारे में विस्तृत विश्लेषण करेगे।

नेतृत्व की अवधारणा

(Concept of Leadership)

नेतृत्व एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो मनुष्यों एवं पशुओं दोनों के समाज में पाया जाता है। किसी भी समाज को जिंदा रहने के लिये सगन्ध तथा गत्यावरोध से बचाने के लिये उच्चकोटि की सृजनशीलता अध्यात्मिकता तथा सशक्त बौद्विकता की आवश्यकता होती है। इसकी जिम्मेदारी उस काल और उस युग के मनीषियों तथा नेतृत्व की होती है। अगर हम संविधान की उददेशिका मौलिक अधिकारी तथा नीति निर्देशक तत्वों को देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारी प्रतिबद्वता सामाजिक क्रांति लाने की है। नेतृत्व से हमारा अभिप्राय व्यकित्यों को प्रोत्साहित या निर्देशित करने वाली योग्यता से है, जो व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है, न कि पद पर ।

नेतृत्व एक महत्वपूर्ण एवं प्रतिषित पद है, जो दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने मार्ग दिखाने अथवा व्यवहार का आदर्श निश्चित करने की योग्यता द्वारा अर्जित किया जाता है। '1'

नेतृत्व एक मानवीय तत्व है, जो राजनीतिक व्यवस्था में समूह को सुसंगठित कर देता है, और उसे लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। उसके अभिप्रेरित करने की क्षमता बहुत कुछ उसके जीवन मूल्यों पर आधारित होती है। जिसके आधार पर उसका चरित्र बनता है। मैकेंजी ने नीतिशास्त्र को सत या शुभ के रूप में परिभाषित किया है। '2'

समाजिक संस्था के रूप में नैतिकता को अपने सदस्यों में स्वयं बौद्विक निर्देशन एवं निर्धारण के रूप में समझा जा सकता है। व्यक्ति एंव छोटे समूह को निर्देशित करने के लिये समाज का एक साधान है। '3'

नेतृत्व का समझने के लिये कुछ समाज वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषऐं गौर की जा सकती हैं।

लिण्डग्रेन के अनुसार (Lingdgren, 1973) के अनुसार

समूह के ऐसे सदस्य को नेता कहा जाता है जो अपनी पसंद के अनुसार अन्य सदस्यों को व्यवहार करने के लिये अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालता है। '4'

लापीयर तथा फ्रांसवर्थ (Lapiere & Fransworth 1949) के अनुसार

नेतृत्व वह व्यवहार है जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना की उन सभी व्यक्तियों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। '5'

बास (Bass 1990) के अनुसार

इन्होंने नेतृत्व को काफी विस्तृत एवं वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया है नेतृत्व एक ऐसे समूह के बीच अन्तः क्रिया है जिसमें सदस्यों की प्रत्याशाओं एवं प्रत्यक्ष्णों तथा परिस्थितियां प्रायः संरचित एवं पुनसंरचित होती रहती है। नेता को परिवर्तन का एजेन्ट समझा जाता है। तथ वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कार्य का प्रभाव अन्य सदस्यों पर इन सदस्यों द्वारा किये गये कार्यो का उन पर पड़ने वाले प्रभाव से अधिक होता है। नेतृत्व की उत्पत्ति तब होती है जब समूह का एक सदस्य अन्य सदस्यों की सामर्थता तथ अभिप्रेरण को परिवर्तित करता है। '6'

अतः निष्कर्ष यह है कि नेतृत्व ऐसीप्रक्रिया है जिसमें अर्न्तवैक्तिक अन्तः क्रिया होती है क्योंकि नेता अपने अनुयायिओं पर प्रभाव डालता है। तथा अनुयायी अपने नेता पर प्रभाव से अधिक होता है। अतः इन दोना ें के बीच पारस्परिक की मात्रा में अन्तर होता है। नेता अपने इस तरह के प्रभाव के कारण ही औपचारिक अध्यक्ष से भी नेता होता है।

नेतृत्व के गुण (सामान्य)

नेतृत्व के कुछ गुण होते हैं जिसके आध्धर पर उसे आसानी से समझा जा सकता है या पहचाना जा सकता है। आलपोर्ट के अनुसार नेतृत्व के 18 गुण होते है, बर्नाड के अनुसार नेतृत्व के 28 गुण होत हैं बोगार्डस के अनुसार 8 गुण होते हैं तथा रीड के अनुसार नेतृत्व के 10 गुण होत हैं। नेतृत्व के कुछ सामान्य गुण निम्नांकित हैं–

(1) शारीरिक गुण

(2) व्यक्तित्व शील गुण

(1) बुद्वि (2) आत्मविश्वास (3) शब्दाडम्बर (4) प्रभुत्व (5) समायोज
(6) सामाजिकता (7) परिभ्रमप्रियता (8) कल्पना एवं दूरदर्शिता (9) चमत्कार
(10) संकल्प शक्ति

उपर्युक्त शील गुणें के आधार पर हम यह कह सकते है कि अधिकतर नेताओं में सामान्य शीलगुणें का एक सेट होता है ? शायद नहीं। अनेक अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि अधिकतर नेताओं में कोई सामान्य शील गुण नहीं होते '7'

वर्केल तथा कूपर ने ठीक ही टिप्पणी किया है सैकड़ों अध्ययनों जिनमें अधिकतर नेताओं में सामान्य गुण नाम की कोई चीज नहीं पाई गई है। का सुझाव है कि सचमुच में नेतृत्व में व्यक्तित्व या शारीरिक गुणों के सेट से कहीं अधिक कुछ और पाया जाता है ''। '8'

विकास की अवधारणा

जनजातीय विकास के आरंभ का श्रेय मौर्य राजा अशोक को दिया जाता है। जिसने इस कार्य के लिये अपने मंत्रीमण्डल में एक मंत्री अन्नतहापात्य की नियुक्ति की। जो जन सामान्य के हितों का ध्यान रखता था।

जनजातियों के सम्बन्ध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि ये स्थानीय लोग अपने क्षेत्र के चप्पे–चप्पे से वाकिफ होते हैं तथा जासूसी सहित स्थानीय कार्यो के लिये इनका अस्थाई सहयोग लिया जा सकता है।

आधुनिक भारत मे जनजाति विकास को एक व्यवहारिक रूप दिया अंग्रेजों ने, परन्तु इनका लक्ष्य इन समाजों का विकास नहीं था। लक्ष्य एक नहीं दो थे पहला यह था कि उन्हें ईसाईयत का पाठ पढ़ाकर अंग्रेजी सत्ता का पक्षधर बनाना तथा दूसरा इसी प्रकिया द्वारा उन्हें स्वाधीनता संधर्ष से दूर रखना। अपने लक्ष्यों की पूर्ति में उन्हें सफलता भी मिली। '9'

जनजाति एवं विकास

जनजातीय विकास की चर्चा करने से पूर्व हमें दो शब्दों जनजाति एवं विकास को परिभाषित करना होगा। मानव शास्त्रीय साहित्य में ऐसे समुदायों को जनजाति की श्रेणी में रखा गया है जिनमें निम्न लक्षण पाये जाये कम जनसंख्या धनत्व आदिम अर्थव्यवस्था,ख आदिम राजनीतिक व्यवस्था, आदिम धर्म, निम्न स्तर की प्रोद्योगिकी, लिपित का अभाव तथा अन्य सामाजिक समूहों से दूरी। वास्वत में द्वीपीय समूहों को छोड़कर देश का कोई भी सामाजिक समूह इन लक्षणों पर पूरी तरह खरा नही उतरता। भारत में प्रायः सामाजिक समूहों को जनजाति कहा जाता है जिन्हें राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा जनजाति घोषित किया गया है। दूसरे शब्दों मे ंप्राय भारतीयः जनजातियॉ अनुसूचित जनजातियां है।

विकास का अर्थ

सीधे शब्दों में विकास का अर्थ है प्रगामी दिशा की ओर परिवर्तन। परन्तु प्रगामी शब्द सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। इसलिए वाछिंत दिशा में परिवर्तन कहना अधिक उपयोगी होगा। विकास विशेषकर आर्थिक विकास का अन्य आयाम भी है क्योकि बिना किसी समय सीमा के आर्थिक विकास निरथर्क है। कुल मिलाकर विकास का अर्थ है– एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत वाछित दिशा में परिवर्तन '10'

विकास का समान्य अर्थ बहुधा उच्चतर उपभोग और जीवन की अच्छी गुणवत्ता लगाया जाता है। यह स्पष्ट है कि अधिक उपभोग को अपने आप में विकास का एक मात्र उददेश्य स्वीकर नहीं किया जा सकता है। तथापि सामाजिक जीवन में प्रतयेक व्यक्ति की कुछ आधारभूत भैतिक आवश्यताऐं तो पूरी

होनी ही चाहिए। इसलिए उस सीमा तक उपभोग मानवीय प्रयास का एक आधारभूत लक्ष्य बन जाता है। पर्याप्त संतुलित भेजन, न्यूनतम वस्त्र और हवा पानी से बचने के लिये सुखद आवास शरीर धारण के लिये अनिवार्य है। इसलिये उनकी व्याख्या होन आवाश्यक है। हमारे देश में पश्चिमी भील अंचल जैसे कुछ आदिवासी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन इनता बिगड़ चुका है कि उनके परम्परागत परिवंश से इन न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं का पूरा होना भी अब सम्भव नहीं रहा है। उच्चतर व्यक्ति कौशल स्थानीय अर्थ व्यवस्था के विविधीकरण से ही संतुलन की पुर्नस्थापना की जा सकती है। जिसके लिये अविलम्ब कारगर नियोजन आवश्यक है। '11'

उक्त अवधारणा के अध्ययन के आधार पर मध्यप्रदेश में जनजातीय नेतृत्व और विकास की स्थिति पर गौर करें तो यह ज्ञात होता है कि जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय समाज एवं क्षेत्रों का गैर जनजातीय समाज की तुलना में विकास नहीं हुआ है। उनका जीवन स्तर अभी भी निम्न है, आय के स्रोत्रों में वृद्धि नहीं हुई है। परम्परागत कृषि एंव पशुपालन व्यवसाय को अपनाये हुए है। वे आखेट व जड़ी–बुटी व जंगली बनोपज पर आधारित आय पर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ शिक्षित परिवार जो आधुनिक सभ्यतः के सम्पर्क मे आ गये है उनको छोड़कर अभी भी स्ववंत्रता के 71 वर्षो बाद भी उनकी स्थिति बद से बदतर है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, बालक बालिकायें विद्यालय जाने लगे हैं। उच्चशिक्षा के क्षेत्र में एवं तकनीकी संस्थाओं में भी इस वर्ग के छात्र प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे है। प्रतियोगी परीक्षओं में भी रूचि बढ़ी है। तथा वे अब शासन व प्रशासन में आने लगे हैं। लेकिन राजनीति मे अभी भी जनजातीय बाहुल्य प्रदेश होने के बावजूद अभी उनको शीर्ष नेतृत्व नहीं मिला है। केवल उनका यूज अन्य सवर्णकीय राजनीतिज्ञों द्वारा किया गया है। जो चिंता का विषय है। अभी तक जनजातीय नेतृत्व का विकास क्यों नहीं हो पाया है। इसके क्या कारण है ? कौन–कौन सी परिस्थितयां उत्तरदायी रही है ? इसके लिये दोषी कौन है ? तथा इस कमी को पूरा करने के लिये क्या करना आवश्यक है। ताकि जनजातीय नेतृत्व का विकास क्यों नहीं हो पाया है। इसके क्या कारण है ? कौन–कौन सी परिस्थितयां उत्तरदायी रही है ? इसके लिए दोषी कौन हे ? तथा इस कमी को पूरा करने के लिये क्या करना आवश्यक है ? ताकि जनजीय नेतृत्व को विकसित किया जा सके ताकि इस समुदाय का विकास हो सके। उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर एवं हल हेतु निम्नाकित तरीके एवं सुझाव दिये जा रहे हैं।

1 जनजातीय क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों एवं समान्य से साक्षात्कार के दोरान यह ज्ञात हुआ है कि उक्त कमी को पूरा करने हेतु सर्वाधिक कारगर कदम शिक्षा है शिक्षित करके उनको जागरूक किया जा सकता है।

2 आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाकर उनकी बदहाल से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसके लिये उन्हें बिना ब्याज के ऋण कृषि उपकरण, भूमिहीनों को भूमि, शिक्षित जनजातीय युवकों को अनिवार्य शासकीय सेवा प्रदान की जानी चाहिए।

3 आधुनिक र्प्यावरण से उनको परिचित करने हेतु संचार के साधनों का विकास जनजातीय क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से किया जाए।

4 जनजातीय क्षेत्र दुर्गम स्थलों पर बसे हुए हैं। जहां आवागमन की सुविधा नहीं है। सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है शुद्व पेय नहीं है, इसलिए सड़कों का अभाव विकास में बाधक है। यही बजह है कि आज भी वे आधुनिक सभ्यता के सम्पर्क में नहीं आ पाये हैं जो अलगाववाद को प्रोत्साहन दे रहा है। और विकास अवरूद्व है। जिसे दूर करने के लिए नक्सलवादी विकास के लिए अपना जीवन इस वर्ग के लिए समर्पित किया है। अतः सड़कों का विकास किया जाये, आदिवासी वस्तियों तक पक्की सड़कें बनवायी जाये तथा उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ा जाये।

5 जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा, पेयजल तथा दैनिक जीवन की आधारभूत वस्तुएं सहज उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसके लिये शासन/प्रशासन को इन क्षेत्रों के उक्त जीवनयोगी सामग्री प्रदाय हेतु सहकारी संस्थाऐं स्थापित करें।

6 जनजातीय क्षेत्रों में व्यापरी, ठेकेदार एवं शासकों द्वारा व्यापक शोषण किया गया है। जिससे वे ऋण के भार से दब गये और उनके नौकर बने हुए हैं। शोषण से मुक्ति दिलाना और उन्हें मुक्त करने हेतु उनमें चेतना लाने के लिये एक व्यापक जनजागृति पैदा करना आवश्यक है। इसके लिये एक राष्ट्रीय सतर्कता विभाग स्थापित किया जाए जिसके अधिकारी सवर्ण वर्ग के न हो।

7 जनजातियों की तरक्की के लिये उन्हें आधुनिक व्यवसाय एवं तकनीकि से जोड़ना आवश्यक है। वे परंपरावादी एवं पुराने तरीके अपनाते हैं। जिससे निम्न आय होती है।

सामान्यतः वे सीधे, साधे भोले हैं इसलिये लोग आज भी उनको ठग रहें हैं। उनका उपहास उड़ाते हैं तथा लोगों के दिमाग में यह बैठा है कि जनजाति वर्ग के व्यक्ति निरामुर्ख अनपढ़ व अज्ञानी है वे कुछ नहीं जानते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, गरीब है व जंगली हैं।

उक्त मानसिकता से अन्य सवर्ण वर्ग को ऊपर उठना होगा। क्योकि जनजातीय समाज एक समृद्व एवं सशक्त व सुदृढ़ है इनकी एक संस्कृति है। ये भारत के मूल निवासी हैं, वास्तविक आर्य है, इनकी भारत की भूमि, वन, पर्वत पर नैसर्गिक अधिकार है, भौतिक संसाधनों का इन्हें दोहन करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इनकी एक सांस्कृतिक विरासत है जिन्हें इन्होने अक्षुग्ण बनाये रख है। यह भारत की एक अभिन्न पहचान है। लेखक को गर्व है कि वे अपनी संस्कृति और पहचान को नहीं भूले हैं, वह सहज है,

सहदह है, , उनमें मानवीयता है, संवदेना है, प्रसन्नचित्त है व निष्च्छल हैं। यह गुण तो अन्य शिक्षित समुदाय के जिसे हम विकसित कहते हैं उनके अधिकांश नेतृत्व में नही है ? उनमें कुटिलता है, एक सुपीरिटी काम्पलेक्स है, जो अपने आप को अन्य से भिन्न समझते हैं। जनजातीय समाज को उपेक्षित नजरो से देखते हैं।

लेखक को दुख है कि आज भी संवैधानिक प्रावधानों बावजूद शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी इस वर्ग के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं उनके लिये प्रस्तावित योजनाओं के कियान्वयन में आनाकानी करते हैं स्कूलों कॉलेजों एवं वि0वि0 में छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाता जो आवास गृह छात्रावास बने हैं, उनका सही रख रखाव व मेंटनेंस नहीं होता। अधिकारी वर्ग कहता है कि जनजाति वर्ग के लोग तो सरकारी दामाद है इससे पता चलता है कि समाज एवं प्रशासन में नेतृत्व करने वालों की क्या मानसिकता है।

अतः जनजातीय नेतृत्व और विकास के लिये कथित सम्पन्न एवं शिक्षित वर्ग के समाज के लोगों की मानसिकता में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तित होगा तभी जनजातियों की स्थिति एवं विकास में परिवर्तन होगा।

संदर्भ :–

(1) Bass : The Hand book of Leadership 1990, P 20

(2) Worchel & Cooper : Understanding Social Psychology, 1979,P.442

(3) Maclver, R.M. Page, C.H. (1952) Society, London Macmillan and Company London- 1952,P.46

(4) Young Kimbal, Hand book of Social Psychology”
Round Leg & Legaupaul Ltd.London, 1957

(5) Mackenzie, J.S. “A Manual of Ethics”
University Tutorial Press Lte London, 1927.P.1

(6) Frankena, willian, K Ethi s “Prince Hall of India Pvt. New Delhi, 1982, P.No. 6

(7) सिंह, अरूण कुमार – समाज मानेविज्ञान की रूपरेखा (2002)
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली पृष्ठ (387 से 90)

(8) वैदृय , नरेश कुमार– जनजातीय विकास मिथक एवं यथार्य (2003)
रावत पब्लिकेशन्स – जयपुर, पृ. (01 से 03)

(9) शर्मा , डा. ब्रम्हदेव (1994)
आदिवासी विकास एक सैद्धांतिक विवेचना, भोपाल मध्यप्रदेश, हिन्दी ग्रेथ अकादमी पृ.4

(10) Lindgren: An Introduction to Social Psychology, 1973, P.257

(11) Lapiere & Fransworth : Social psychology, 1949, P.257